

2021/29

प्रशासन गाँवों के संग अधिनियम-2011 प्रपत्र-8

141
2021

राजस्थान सरकार

662 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, शाहपुरा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प दुर्गापुरा
जवाहर गाँव के संग अधिनियम 2011
-:आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी नामन व भू.अ.नि. उमरु
की रिपोर्ट तथा तहसीलदार नामन / नायब तहसीलदार नामन की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान
भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम नामन तहसील शाहपुरा व जिला जयपुर
की जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में खाता संख्या 371 में वर्तमान में दर्ज
प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	नामन	371	खोताराम पुत्र काठक	मंगलचन्द पुत्र खोताराम पुत्र काठक श्री 5 डाक बंदर पुरविल जमाबन्दी के मुताबिक

(नामन)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर, शाहपुरा
दिनांक :- 15/11/21

क्रमांक :- 663-664

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार उमरु को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री नामन को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(नामन)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर,

शाहपुरा

मंगलचन्द गुजर